भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2765

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2026

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

2765. श्री ई. तुकाराम:

श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, आय की रिपोर्टिंग और पारदर्शी प्रबंधन में सुधार के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के बाद कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार केंद्रीय वक्फ पोर्टल पर पंजीकृत, डिजिटलीकृत और अद्यतन की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्तियों से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय तथा ऐसी आय के शिक्षा, छात्रवृत्ति, छात्रावासों, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए उपयोग की सूचना प्रदान करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्कूलों, कॉलेजों, कौशल केंद्रों, छात्रावासों और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित शैक्षिक और सामाजिक कल्याण प्रयोजनों के लिए विकसित की जा सकने वाली वक्फ संपत्तियों का कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग लक्षित लाभार्थियों के लाभ के लिए किया जाए?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास (UMEED) अधिनियम, 1995, यथा संशोधित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, दिनांक 08.04.2026 से लागू हुआ। UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 3(टक) के प्रावधानों के अनुसार, वक्फ का विवरण अपलोड करने, नए वक्फ का पंजीकरण करने तथा वक्फ संपत्तियों के समग्र प्रबंधन और अभिशासन के पारदर्शी संचालन के लिए UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 विकसित किया गया तथा दिनांक 06.06.2025 को इसकी शुरूआत की गई।

(ख) दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, देशभर में UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 3-ख के अनुसार, पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले वक्फ संबंधी विवरणों में अन्य बातों के साथ-साथ वक्फ संपत्तियों की वार्षिक आय एवं व्यय का विवरण, धार्मिक, धर्मार्थ तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अलग से प्रावधान की गई राशि का विवरण आदि सम्मिलित हैं।

(घ) और (ङ) UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसार, किसी राज्य में स्थित सभी औकाफ के सामान्य अधीक्षण का उत्तरदायित्व उस राज्य के लिए स्थापित वक्फ बोर्ड अथवा उस राज्य का होता है तथा वक्फ बोर्ड का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि उसके अधीक्षणाधीन सभी वक्फों का उपयुक्त रखरखाव, नियंत्रण एवं प्रशासन हो रहा है तथा उनकी आय का समुचित उपयोग उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए ऐसे किया जाए जिनके लिए उन वक्फों की स्थापना की गई थी अथवा जिनके लिए वे अभिप्रेत थे।

केंद्रीय वक्फ परिषद, केंद्र सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्डों को वक्फ बोर्डों के कार्य संचालन एवं औकाफ के समुचित प्रशासन से संबंधित विषयों पर परामर्श प्रदान करना है। वक्फ बोर्डों को अपने राज्य में वक्फ बोर्डों के कार्य निष्पादन से संबंधित जानकारी केंद्रीय वक्फ परिषद को उपलब्ध करानी होती है, जिसमें विशेष रूप से उनके वित्तीय निष्पादन; सर्वेक्षण; वक्फ विलेखों एवं राजस्व अभिलेखों का रखरखाव; वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण की स्थिति; वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित जानकारी शामिल है।

UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 3-ख(1) के प्रावधानों के अनुरूप, UMEED केंद्रीय पोर्टल-2025 पर वक्फ संपत्तियों के विवरण के अपलोड, सत्यापन एवं पुष्टिकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है। तद्नुसार, वक्फ संपत्तियों से प्राप्त वार्षिक आय तथा इच्छित उद्देश्यों के लिए उसके उपयोग संबंधी जानकारी का निर्धारण, डेटा अपलोड एवं पुष्टिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही किया जा सकेगा।

अनुबंध-I

'वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025' विषय पर माननीय सांसद श्री ई. तुकाराम और श्री ससिकांत सेंथिल द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 05.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2765 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार वक्फ प्रगति रिपोर्ट							
क्र. सं.	राज्य वक्फ बोर्ड	निर्माणकर्ता द्वारा प्रविष्टि हेतु प्रस्तुत की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या	निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत वक्फ संपत्तियों की संख्या (जांचकर्ता के स्तर पर लंबित)	जांचकर्ता द्वारा प्रस्तुत वक्फ संपत्तियों की संख्या (अनुमोदक के स्तर पर लंबित)	अनुमोदक द्वारा अनुमोदित वक्फ संपत्तियों की संख्या	अब तक शुरू/पूर्ण की गई वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या	जांचकर्ता/ अनुमोदक द्वारा अस्वीकृत वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या (निर्माणकर्ता के स्तर पर लंबित)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(क+ख+ग+घ+ङ)	(ङ)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	58	0	1	147	213	7
2	आंध्र प्रदेश	318	429	63	14698	15584	76
3	असम	74	411	32	188	734	29
4	बिहार शिया	245	28	5	5955	6312	79
5	बिहार सुन्नी	1358	1715	58	6700	11420	1589
6	चंडीगढ़	1	0	0	22	23	0
7	छत्तीसगढ़	133	24	0	2089	2445	199
8	दिल्ली	273	1901	150	200	3182	658
9	गुजरात	2846	19	9	24508	30796	3414
10	हरियाणा	408	0	0	12919	13447	120
11	हिमाचल प्रदेश	58	16	0	837	915	4
12	जम्मू एवं कश्मीर	221	33	3	25248	25567	62
13	झारखंड	221	750	3	135	1109	0
14	कर्नाटक	4114	55	2	53509	58845	1165
15	केरल	3903	8020	21	63086	79951	4921
16	लक्षद्वीप	131	37	0	298	479	13
17	मध्य प्रदेश	1939	6076	566	22362	32375	1432
18	महाराष्ट्र	4486	10388	52	46961	71936	10049
19	मणिपुर	17	55	91	374	542	5
20	मेघालय	0	0	0	13	13	0
21	ओडिशा	470	115	301	4050	6626	1690

22	पुदुचेरी	24	62	4	507	624	27
23	पंजाब	735	7	1	25374	26339	222
24	राजस्थान	2376	756	379	17034	32616	12071
25	तमिलनाडु	2187	991	2	8014	15120	3926
26	तेलंगाना	3798	1	7	54605	63984	5573
27	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1	1	0	0	2	0
28	त्रिपुरा	23	0	0	2710	2778	45
29	उत्तराखंड	281	63	147	1599	2386	296
30	उत्तर प्रदेश शिया	1005	328	26	4758	8176	2059
31	उत्तर प्रदेश सुन्नी	13877	5717	198	103184	152713	29737
32	पश्चिम बंगाल	3680	1503	12	115551	131845	11099
कुल		**49261**	**39501**	**2133**	**617635**	**799097**	**90567**
